न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर ,शहर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 32/2019

ऑनलाईन प्रकरण संख्याः– 2019/00059

1. दिनेश सिंह यादव पुत्र देवकरण सिंह यादव जाति यादव निवासी मकान संख्या ए–35 करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर ।

––प्रार्थी––

–बनाम–

1. मूलचन्द डागा पुत्र सुन्दरलाल डागा जाति डागा ,निवासी बागडी मौहल्ला, बीकोनर।
2. ऐवन्त डागा पुत्र मूलचन्द डागा, जाति डागा, निवासी बागडी मौहल्ला , बीकोनर।

––अप्रार्थीगण––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. 1955

अभिभाषक उपस्थितिः–
1. श्री हरीश मदान, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेश वैद, अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से ।

–:निर्णयः– **दिनांकः– 20.12.2019**

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्राथी एवं उसके परिवार के नाम से एक खातेदारी कृषि भूमि जिसके खेत खसरा नं. 104 तादादी 1.45 हैक्टयर, खसरा नं. 225 तादादी 4.25 हैक्टेयर, खसरा नं. 1063/217 तादादी 0.62 हैक्टेयर कुल तादादी 6.32 हैक्टेयर वाके ग्राम नालछोटी तहसील व जिला बीकानेर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी एवं उसके परिवार सहखातेदार है। जिस पर उनका कब्जा काश्त भी हैं। अप्रार्थीगण की कृषिभूमि प्रार्थी की भूमि के आस–पास है। जिस कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण बाल क्ले, फायरक्ले व यलो क्ले का अवैध खनन का कार्य करते है। जिसकी आड में अप्रार्थीगण प्रार्थी की कृषि भूमि में जबरन प्रवेश कर उसकी प्रकृति को खत्म कर अवैध रूप से खनन का कार्य करने लगे। जिस पर प्रार्थी ने एतराज किया तो प्रार्थी की भूमि में खनन कार्य बन्द कर दिया। प्रार्थी जब उक्त भूमि पर मौजूद नहीं रहता, तब अप्रार्थीगण पुनः उसकी भूमि मे घूसकर अवैध खनन का कार्य चालू कर देते है। अप्रार्थीगण के नही मानने पर प्रार्थी ने सुन्दरलाल, मूलचन्द डागा आदि के विरूद नाल पुलिस थाना में एक एफ.आई.आर सं. 2 दिनांक 02.01.2019 को दर्ज कराई। सुन्दरलाल के स्वर्गवास के बाद उसका पोता ऐवन्त डागा (अप्रार्थी सं. 2) अपने पिता अप्रार्थी सं. 1 के साथ मिलकर प्रार्थी की भूमि में उसकी गैर मौजूदगी में जबरन प्रवेश कर अवैध खनन कार्य करने लग जाते। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार

है तथा मौके पर उसका कब्जा व काश्त है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमि में जबरन प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में प्रवेश कर अवैध खनन का कार्य करते हैं, तो उक्त भूमि की प्रकृति प्रवर्तित होने की पूर्ण सम्भावना है, यदि ऐसा होता है तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान कारित होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति रूपये पैसों में नहीं आंकी जा सकती। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी व उसके परिवार के रोजी–रोटी का एक मात्र साधन हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर यदि अवैध कार्य किया जाता हैं, तो प्रार्थी को अधिक असुविधा कारित होगी। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय से जारी की जावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थी एवं उसके सहभागीदार की प्रश्नगत कृषि भूमि में जबरन प्रवेश नहीं करें, ना ही उक्त कृषि भूमि की प्रकृति में परिवर्तन करें। ना ही जबरन प्रवेश कर किसी प्रकार का कोई अवैध खनन स्वयं करें, ना हीं अन्य व्यक्तियों से करवायें तथा ना ही कोई ऐसा फैल या तक्र फैल करें, जिससे प्रार्थी के हकूकों पर कोई बूरा असर पडे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसपर अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार करते हुवे उन्हें गलत व बनावटी बताया है। आगे कथन कर उल्लेख किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में सभी सहखातेदारों का पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिस अवैध खनन का प्रार्थी जिक्र कर रहे है, वह अप्रार्थीगण की खनन लीज शुदा भूमि पर लीज अनुसार ही खनन कार्य किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित फौजदारी प्रकरण में अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। अप्रार्थीगण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत खनन लीज धारक व्यक्ति है। यहीं पुलिस की अन्तिम रिपोर्ट में माना है। प्रार्थी कानूनी प्रक्रिया की आड में अप्रार्थीगण को तंग व परेशान कर आर्थिक व मानसिक नुकसान पहुचा रहा है। इस प्रकार अपूरर्णीय क्षति प्रार्थी की ना होकर अप्राथीगण के पक्ष में हैं। आगे अपने विशेष कथन में उल्लेख किया कि अप्रार्थी सं. 1 के पिता व अप्रार्थी सं. 2 के दादा सुन्दरलाल पुत्र श्री चम्पालाल जाति डागा को राज्य सरकार के आदेश दिंनाक 19.05.1979 को खनिज नियम 1960 के तहत मौजारोही नाल की 64 हैक्टेयर भूमि 20 वर्ष की अवधि के लियें लीज पर जारी की गई। जिसके पश्चात् दिनांक 28.02.1999 से 20 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया गया। उक्त लीज भूमि मुताबिक तहसीलदार बीकानेर व पटवारी हल्का नाल के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नाल छोटीके पुराना खसरा नं. 14 जिसके नयें खसरा नं. 994/103,104,105,205,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235 कुल किता 21 कुल तादादी 64 हैक्टेयर स्थित होने की रिपोर्ट भी है। इससे स्पष्ट है कि वादगत भूमि अप्रार्थीगण की सन् 1979 से स्वीकृत शुदा खनन लीज पट्टा की भूमि हैं। जिस पे राज्य सरकार की स्वीकृति से खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है। उपरोक्त वर्णित लीज भूमि के सम्बध में न्यायायल हाजा को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि खनन लीज भूमि के सम्बध में राज. काश्त. अधिनियम के तहत ना तो किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न होता है ना ही राजस्व न्यायालयों द्वारो लीज धाराकों के खिलाफ चिर स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अतः दावा व प्रार्थना पत्र कानून के प्रावधानों के विपरित होने से बार्ड बाई लॉ है तथा प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः निरस्त फरमाया जावें।

3. प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्राथी एवं उसके परिवार के नाम से एक खातेदारी कृषि भूमि जिसके खेत खसरा नं. 104 तादादी 1.45 हैक्टयर, खसरा नं. 225 तादादी 4.25 हैक्टेयर, खसरा नं. 1063/217 तादादी 0.62 हैक्टेयर कुल तादादी 6.32 हैक्टेयर वाके ग्राम नालछोटी बीकानेर के रिकार्डेड खातेदार है। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। जिस पर अप्रार्थीगण मौका मिलते ही अवैध खनन करते है। जिससे भूमि का स्वरूप बिगाड़ दिया है, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ एफ.आई.आर भी दर्ज करवायी है। प्रार्थी की कृषि भूमि में अप्राथीगण को लीज लेने का कोई अधिकार नहीं हैं। खसरा नं. 225 में गैर कानूनी तरीके से लीज ले रखी है। खनन लाइसेसं में सतह पर खनन की अनुमति है, नीचे गहराई तक नहीं। आगे कथन किया कि अप्रार्थीगण का यह कहना कि उक्त भूमि अराजीराज भूमि थी। इससे सम्बधित कोई दस्तावेज नहीं है। खसरा नं. 104, 225 सन् 1981 में मूल खातेदार गणपतराम, आसूराम महाजन से खरीदी थी। जिसे 1981 से लेकर आज तक कोई चेलेंज नही किया गया है। उक्त दोनों खसरों का अप्रार्थी खातेदार नहीं हैं। माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थी के विरूद्व कोई आदेश नहीं दिया गया हैं। प्रार्थी आज दिनांक तक वादगत भूमि का खातेदार है।

4. प्रकरण में प्रार्थी के बहस के जवाब में अप्रार्थी ने अपनी बहस में उल्लेख किया कि अप्रार्थी सं. 1 के पिता सुन्दरलाल को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.05.1979 को 20 वर्ष की अवधि के लिये लीज 84 हैक्टेयर में मिली तब उक्त भूमि अराजीराज थी। जिसको राज्य सरकार द्वारा बाद में दिनांक 28.09.1999 से 20 वर्ष अवधि के लिये नवीनीकरण किया गया। वादी को जो आवंटन हुआ, वह बाद का व गलत है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन तहसील से मिली भगत कर करवा लिया। प्रार्थी का उक्त वादगत जमीन पर कब्जा नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी लीज में खसरा नम्बर नहीं होते केवल नक्शा होता है। लीज के खसरा नं. अप्रार्थी के पिता को पटवारी द्वारा ही बताये गये हैं। स्टेट के विरूद्व किये गये दावों में अप्रार्थी को बेदखल नहीं करने के आदेश मिले हुए है। सन् 1979 से आज तक उक्त जमीन पर अप्रार्थी का ही कब्जा है और उक्त जमीन पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत शुदा लीज पर खनन कार्य कर रहा हूँ। प्रार्थी द्वारा उल्लेखित फौजदारी प्रकरण में एफ.आर. लग चुकी है। अप्रार्थीगण को स्वीकृत शुदा लीज पर खनन कार्य से प्रार्थी द्वारा स्टे की आड मे वंचित किया जा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

5. हमने पत्रावली व उसपर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया । उभयपक्ष की बहस पर मनन व प्रस्तुत दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत भूमि के क्रम में जो तथ्य हमारे समक्ष आये है वे यह है कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खेत खसरा नं. 104 तादादी 1.45 हैक्टयर, खसरा नं. 225 तादादी 4.25 हैक्टेयर, खसरा नं. 1063/217 तादादी 0.62 हैक्टेयर कुल तादादी 6.32 हैक्टेयर वाके ग्राम नालछोटी प्रार्थी की खातेदारी भूमि है व प्रार्थी के कब्जे काश्त में है। अप्रार्थी द्वारा जिस भूमि को उसकी लीजधारी भूमि कहा गया है। उसके सन्दर्भ में अपने जवाब में उल्लेखित खसरों के समर्थन में कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थीगण की लीजधारी भूमि व प्रार्थी के खसरों की भूमि एक ही हैं। प्रार्थी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में एक खातेदार काश्तकार है तथा वादगत भूमि उसके कब्जा काश्त में होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के हक में साबित होता है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन का

सिद्वान्त भी प्रार्थी के हक में हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आदेश पारित होने से उसके खातेदारी अधिकारों का हनन होगा। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए एक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा का आदेश पारित करना न्यायसंगत नहीं है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थाई निषेद्याज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाद के अन्तिम निपटारे तक प्रार्थी की खातेदारी भूमि खेत खसरा नं. 104 तादादी 1.45 हैक्टयर, खसरा नं. 225 तादादी 4.25 हैक्टेयर, खसरा नं. 1063/217 तादादी 0.62 हैक्टेयर कुल तादादी 6.32 हैक्टेयर वाके ग्राम नालछोटी तहसील व जिला बीकानेर में अप्रार्थीगण किसी प्रकार दखलअन्दाजी ना करें, ना ही करावें, ना ही ऐसा कोई कृत्य ना करे, जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ें।

6. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया व इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2020.01.23 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: